

लोक राजपत्र मास - २ विमांक ३० अगस्त, १९७६ के पृष्ठ क्रमांक ८४१ में -  
राजनीति प्रधान की प्रधानी :-

राजनीति शास्त्र विमांक  
भौतिक, विमांक १२ सुलाल, १९७६

कठ ४१४-कठारा -- मध्यप्रदेश नगरपालिका विधिविधान, १९५१ (क्रमांक ३० संख्या ४५१) की धारा ३५६ की उपधारा (१) द्वारा प्रबन्ध एवं वित्तीय कानून प्रयोग करते हुए, राजनीति शास्त्र, इकूलारा राजनीतिगांव जिले की राजनीतिगांव नगरपालिका परिषद् द्वारा उक्त विधिविधान की धारा ३५३ की उपधारा (२) के उपर्युक्त (क), (द), (ट) तथा (घ) बाँहे धारा ३५८ की मद (दृष्ट) तथा धारा ३५७ की उपधारा (५) के साथ पठित धारा ३५८ के उपर्युक्त (द) के उपर्युक्त (८) की मद (चार) के अधीन बनाई गई विभिन्न लिखित उपविधियों को, जो उक्त विधिविधान की धारा ३५७ की उपधारा (४) द्वारा वर्णित गये अनुसार पूर्वी वे ही प्रकाशित की जा चुकी हैं, पुष्टि करता हैं, बताते हैं :—

उपविधियाँ

१ (१) ये 'उपविधियाँ' राजनीतिगांव नगरपालिका उद्देश्य निर्माण शास्त्र (स्थान निरीक्षण तथा अनुशासन) उपविधियाँ, १९७६ सालायेंगी।

(२) ये संसूचना नगरपालिका पर लागू होंगी।

(३) ये उनके मध्यप्रबोध राजपत्र में प्रकाशित होने से विमांक से प्रवृत्त हों।

२ इन उपविधियों के ग्राम्य हीमे से राजनीतिगांव नगरपालिका में प्रवृत्त हुए उपविधियों के लक्ष्यान्तरी वे समस्त विधान, जावेश तथा उपविधियाँ, इन उपविधियों के प्रारम्भ होने के अध्यवहित पूर्वी दृढ़ हों, विरस्त हो जायेंगे :

परन्तु इस प्रकार निरस्त लिखी जायेंगी, जावेश तथा उपविधियों को यह कोई जात या कोई कार्यवाही वज्र तर कि वह उपविधियों के उपर्युक्त से असंगत म हो, इन उपविधियों के कास्त्यानी के लक्ष्यान्तरी जायेंगे।

३ इन उपविधियों में जरूर उपर्युक्त से जन्मथा वर्णित हो :—

(क) 'मुख्य नगरपालिका विधिकारी' से विभिन्न है नगरपालिका परिषद् राजनीतिगांव का मुख्य नगरपालिका विधिकारी ;

(ल) 'परिषद्' से विभिन्न है नगरपालिका परिषद्, रा

- (३) "बनुजापन पटांपिता रो" से बायप्रेत हे परिणाम का मुख्य वगरपालिक, पटांपिता रो या इस संघर्ष मे परिणाम घारा प्राप्ति परिणाम का को अभ्य पटांपिता रो ;
- (४) "उद्देश्य गिरावण शासा" से बायप्रेत हे घारा भिल, घाल भिल, घाटा भिल घावल भिल, लेह भिल, अपाच बौटीनी क्षया फौजुड़ी ( काटन विनियंत्रित भिल, घासर मरीच, अन्य कारखाने जौर कमीशाला ( कमिशाप ) ;
- (५) "ध्यवित" से बायप्रेत हे वगरपालिका की सीमावर्ती के पीतर किसी स्थान का एवा या एवामी या दसालकार ;

४- ५- कोई भा ध्यवित, वगरपालिका की सीमावर्ती के पीतर किसी स्थान का उद्देश्य गिरावण शासा को प्रयोगन के लिये हम उपविधियों के अधीन हस संघर्ष मे भूमुख का अंग बनुजापित को विना या इस प्रकार भूमुख की गहरा बनुजापित की शत्रौ के बनुजार के बालिरित उपयोग मे वहाँ लायेगा ।  
बनुजापित के लिये उपविधि ६ मे विवित कोइस के धार्य बालेवन - पत्र प्राप्त एवं पर बनुजापन पटांपिता रो या लो हम उपविधियों से संलग्न प्राप्त मे बनुजापित भूमुख कर सकेगा या बनिलिकित लिये बाने बाले कारणों से हस भूमुख भरने से छंकार कर सकेगा ।

५- बनुजापित भूमुख भरने के लिये फौइस विमालिकित दरों से प्रसारित की जायेगी :—

				क्रम्य प्रतिवर्ण
(१)	राष्ट्र भिल	—	—	८५०-००
(२)	घाल भिल	—	—	८००-००
(३)	घारा भिल	—	—	८००-००
(४)	लेह भिल	—	—	८००-००
(५)	घाटा भिल	—	—	८००-००
(६)	प्रति हसर मरीच	—	—	८५-००
(७)	एहुडी भिल	—	—	८५-००
(८)	अपाच बौटीनी क्षया फौजुड़ी भिल	—	—	८००-००
(९)	गंगा वेलक	—	—	८५-००
(१०)	सम्पार भिल	—	—	८५-००
(११)	अन्य कारखाने या कमीशाला	—	—	८००-००
				८५-००

इन उपविधियों के अधीन भूमुख की गहरा प्रत्येक बनुजापित उसके बारों के दिनों के बागानों ११ नारे की समाप्ति होने बाली भालाब-

- १०- इन उपविष्टियों से लक्षण एवं पार मंजूर का गहरा बुझापन , जो निर्देश या रद्द वा गहरा हो जावेदन लिये जाने पर उपविष्टि ६ वीं विवरणिक्षण - का गहरा परीक्षण के मुगलाम पर बुझापन पदाधिकारी द्वारा नदीकृत की जा सकेगा । परीक्षण के लिये जावेदन - प्रब्रह्म पर्वत वर्षा एवं जावे के मुख विषय जावेगा तथा उसके साथ नदीकृत की जाने वाली बुझापन विवरण का जावेगा यदि इन उपविष्टियों के लक्षण मंजूर वा नदीकृत का गहरा बुझापन विवरण हो जाय या मुख जावे का नट हो जाय तो बुझापन पदाधिकारी जीवा - वांच करने के पश्चात् जेता कि वह जावेत्वक समझे वांच रस्ते कीमत वा - मुगलाम किये जाने पर बुझापन का दूसरी प्रवित जाली कर सकेगा ।
- ११- बुझापन पदाधिकारी अप्पे तथा पर्वित कारणों से बुझापन मंजूर करने के इन्कार कर सकेगा बाँर बुझापनिकारी द्वारा हन उपविष्टियों का निर्देश व जावेतावाँ से या बुझापन की किन्हीं भी झल्के के जपालग करने जरुर या - किन्हीं भी जन्म या पर्वित कारणों से इस प्रकार मंजूर की जावी बुझापन को निर्दिष्ट या रद्द कर सकेगा । ऐसा निर्णयन या रद्दकरण बुझापनिकारी को उच्चे संबंध में मुगलाम की गहरा जिहा की जापता के दावे के लिए सकार नहीं बनायेगा ।
- १२- बुझापन मंजूर करने से इन्कार करने वाला या मूर्ख ने हा मंजूर की गहरा - बुझापन को रद्द करना या निर्दिष्ट करने वाला प्रत्येक जावेड़ हिस्तिकने वामिहित लिया जायगा तथा उसमें ऐसे जावेड़ के लिये कारणों का संक्षिप्तिवरण जन्मदर्शिक्षण देनेगा : ऐसे जावेड़ की प्रविता, जहाँ प्रावित होने वाले व्यापित को निःशुल्क प्रदाय लिया जावेगा ।
- १३- बाल मिल, दाल मिल, बाटा मिल, लें मिल, कपास बौटीना जा पालू ( काटने विनिंग ट्रैस ) मिल, छार नदीन कारसानों जा कर्मिलालावाँ के लिये मंजूर की गहरा बुझापन निर्दिष्ट हुवाँ के लिए जल्दीन जल्दीन लाँकोः-
- (एक) वह मध्य जिसमें बारा मिल, दाल मिल, बाटा मिल, सांखल मिल, लें मिल कपास बौटीना जा पालू ( काटने विनिंग ट्रैस ) मिल, छार नदीन कारसाना तथा कर्मिलाला स्थित हो, पर्वित मंजूर जा दृष्टाकार होनेगा ;
- (दो) उक्त मध्य सुवित मरम्बत में रुडा जावेगा बाँर नदीन की चुराहिला जा बाढ़ लगाकर रुडा जायगा ;
- (तीन) उस दस्ता में बदलि भैसे या नदीने जायद ईस्ति द्वारा जलावी जाकी हो जिसमें ३० बीटर की परिपथ में स्थित उच्चतम मध्यन है कम से कम ५.

- (पांच) भिल के हँडिन या भीतीन को परिणाम द्वारा नियत समय से बंधित  
समय नहीं चलाया जायेगा ;
- (छः) परिसरों में लिंगा ऐसे अवित को, जो किंतु संचारायक या साँझारी  
रीत से 'पाठ्नित हो' नियोजित नहीं किया जायेगा ।
- (पांच) बनुजापितामारी, भिल और उसके परिवारों को स्वच्छ दशा में रखेगा ;
- (छाठ) बनुजापितामारी, भिल को इस प्रकार नहीं चलायेगा जिसे मारतीय दण्ड  
संहिता, १८५० ( क्रमांक ४५ सन् १८५० ) की घारा शैल में परि -  
-भागित किये गये अनुचार न्यूसेन्स उत्पन्न हो ;
- (पांच) बनुजापितामारी, कारखाना, कषेशाला तथा उसकी परिवारों को  
स्वच्छ दशा में रखने के प्रयोगों के लिये बनुजापन पदाधिकारी के समस्त  
लिंगित जावेशों को पालन करेगा ;
- (छह) बनुजापित बहस तात्तरणीय होगी ।
- १३- इन उपविष्टियों के बधीन बनुजापन पदाधिकारी के बादेश से अवित  
कोई भी अवित, उसको बादेश संबूधित किये जाने के विनाक से तीस  
दिन के भीतर, परिणाम को बर्चील कर सकेगा ।
- १४- बनुजापन पदाधिकारी या इस संबंध में परिणाम द्वारा प्राप्ति लिया  
गया परिणाम का कोई अन्य पदाधिकारी समस्त युवित्युक्त समयों पर  
बनुजापित परिसरों का निरीक्षण कर सकेगा और बनुजापितामारी उक्त  
परिसर का निरीक्षण करने के लिये और यह जमिनिश्वित करने के -  
लिये कि इन उपविष्टियों का समस्त बर्चेशारों का सम्मूलप से पालन  
किया जा रहा है, प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा ।
- १५- उद्देशक निर्माणशाला बोरोगिक दो ब्र में स्थित होगी या ऐसे बंद्य  
स्थानों पर स्थित होगी जिसे कि परिणाम द्वारा बनुजात किया जाय  
किमान उद्देशक निर्माण शाला को बोरोगिक दो ब्र में या इस प्रयोगन  
के लिये पृथक रखे गये स्थान में स्थानांतरित किये जाने हेतु युवित्युक्त  
समय किया जायेगा ।
- १६- इन उपविष्टियों के किंहाँ भी उपबन्धों का भंग ऐसे कुमाने से जो पर्याप्त  
सो इपये तक हो सकता है, दण्डीय होगा और जब भंग निर्दिश द्र  
का हो तो ऐसे बारे कुमाने से , जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक  
दिन के लिये , जिसमें भंग का लगातार किया जाना चाहिए हो , प्र  
त्येक तक हो सकता है, दण्डीय होगा ।

बनुज्ञापन का प्रारूप  
( उपविष्टि ५ दे लिये )

बनुज्ञापन क्रमांक.....

नगरपालिका की संचावों के बीतर उद्देश्य निर्णय जाता है लिये स्थान का उपयोग में साने हेतु बनुज्ञापित ।

मध्यप्रदेश नगरपालिका विधिनियम, १९६१ के उपलब्धों तथा उसके बीच बनाये गये नियमों और राजनांदगांव नगरपालिका उद्देश्य निर्णयशाला -  
( स्थान निरीक्षण तथा बनुज्ञापन ) उपविष्टियाँ, १९६६ के बध्यवीन रहते हुए त्री..... बात्मव..... को.....

रूपरेखा की बनुज्ञापित कीस का मुगलान भरने पर, उक्त उपविष्टियों में वर्णित शर्तों के बध्यवीन रहते हुए, स्थान..... वो बाढ़ क्रमांक..... में स्थित है जोर विकास माप..... है, उद्देश्य निर्णय शाला के प्रयोगन हेतु उपयोग में हाने के लिये उसे प्राकृत करते हुए, एक्सारा बनुज्ञापित मंजूर की जाती है ।

यह बनुज्ञापित दिनांक..... है.....  
( दोनों दिन सम्पूर्णित करते हुए ) प्रवृत्त रहेगी । आव दिनांक.....-  
१७ को मंजूर की जाए ।

उक्त

- (एक) वह मध्य विसमें आरा मिल, दाल मिल, बाटा मिल, चांबल मिल, तेज मिल, कमास बोटनी तथा पीड़नी ( काटन विनिंग प्रेस ) मिल, इतर महीन कारखान या कर्मशाला स्थित हो, पर्याप्त मजबूत तथा दृढ़ाधार होगा;
- (दो) उक्त मध्यन समुचित मरम्मत में रहा जावेगा जोर महीन को सुरक्षित तथा बाढ़ संग्राहक रहा जावेगा ;
- (तीन) उस दशा में जबकि मिलें या महीने वाच्य हंडिन द्वारा चेतायी जाती हों विमली ३० मीटर की परिधि में स्थित उच्चतम मध्य से अम से कम पांच मीटर ऊंचा होगी ;
- (चार) मिल या इतर महीन के हंडिन में कार्यकार्य घनि अवारोध किट किया जाए ।
- (पांच) मिल के हंडिन या महीन को परिणद् द्वारा नियत समय से बहिर्भूत समय तक नहीं चलाया जावेगा ;
- (छः) परिसरों में किसी रेहे अवित को, जो किसी संक्रमक या सांघर्षिक रौप्य से पीड़ित हो, नियोजित महीं किया जायेगा ;
- (छार) बनुज्ञापितारा मिल और उसकी परिसीमाओं को छारन्द दशा में रखेगा ।

- : ६ :-

- (बाठ) बनुजपितामारी मिल को हस प्रकार वहाँ बहायेगा जिससे कि भारतीय दण्ड संहिता, १८५० ( क्रमांक ४५ सन् १८५० ) की बारा २६वें में पस्तिकाचित किये गये बनुजार न्यूर्सेस उत्पन्न हो ;
- (भाँ) बनुजपितामारी परिषरों में प्रत्येक मितिंग प्रक्रिया ( मितिंग प्रोचेस ) समाचारों के पश्चात् एक मास से बच्चिक कालावधि के लिये बुरापा या छिल्ला - संवित वहाँ होने देगा ;
- (दस) बनुजपितामारी मिल, कारसाना, कर्मसाला तथा उच्ची परिसीमाओं को स्वच्छ बदला में रखने के प्रयोगम के लिये बनुजापन पदाधिकारी के समस्त लिंगित वादेहाँ का पालन करेगा ;
- (भारह) बनुजपित अहस्तान्तरणीय है ।

.....

बनुजापन पदाधिकारी के हस्ताक्षर  
नगरपालिका परिणाम,  
राजनांदगांव ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा बादेशान्तार,

सम०दरनपूङ्क, संविवा।

-- :o :--

कायांत्रिय      नगर      पालिका      परिणाम,      राजनांदगांव ।

क्रमांक ५५६९। सा०प्र०। १२३। ७६-७७। राजनांदगांव, दिनांक २६ बगस्त, १९७६।

प्रतिलिपि उपराजस्व निरीक्षक (लाइसेंस) नगरपालिका परिणाम, -  
राजनांदगांव को तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ग्रामीण

मुख्य नगरपालिका विधिकारी,  
नगर पालिका परिणाम,  
श्रीराजनांदगांव।

स्वामिलाल ।-

- :- :-